

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीढारीन अधिकारी सुखाराम पिन्डेल (खार ए एस)

राजस्व वाद संख्या :- 05/2019  
दायर दिनांक :- 09.01.2019

जी सी एम एस नम्बर 2019/00968  
निर्णय दिनांक 22.01.2019

01. रामेशसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी वादी

बनाम

01. देवकंवर पत्नी इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
02. पूनमसिंह गोदपुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
03. सावलसिंह पुत्र कोलसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
04. उगमसिंह पुत्र कोलसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
05. रेवन्तसिंह पुत्र जवारसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
06. देरावरसिंह पुत्र कोजराजसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
07. रामकंवर पत्नी कोजराजसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
08. शाखा प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक शाखा सिंहडा तहसील बाप जिला फलोदी
09. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

- उपरिथत :-
1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता वादी
  2. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रति. सं. 1
  3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

--: निर्णय :-

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम कालसिंह नगर पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप में खसरा नम्बर 136/1 रकबा 53-09 बीघा, खसरा नम्बर 136 रकबा 12-11 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 की ओर से अधिवक्ता मदनसिंह भाटी ने वकालतनामा व जवाब मय काण्टर क्लेम पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 की ओर से कोई उपरिथत नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने जबाबुल जवाब पेश किया। प्रतिवादी की ओर से वाद का विरोध होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम की गयी। वकील वादी की साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली में अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनकर ग्राम कालसिंह नगर पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप में खसरा नम्बर 136/1 रकबा 53-09 बीघा, खसरा नम्बर 136 रकबा 12-11 बीघा भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

११/१२/१९

बाप (२२/०१)

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उमय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उमय पक्ष ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अतिक डिक्री जारी किये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उमय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

### क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम कालसिंह नगर पठवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप में खसरा नम्बर 136/1 रकबा 8.6522 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	देवकंवर पत्नी इन्द्रसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	कालूसिंह नगर	136/1	2.1630 हैक्टेयर	बी-2
2	पुनमसिंह पुत्र हुकमसिंह 2/3, सुमेरसिंह पुत्र माधोसिंह 1/3 जाति राजपूत सा. देह खातेदार रहन इंडियन बैंक शाखा सिहड़ा पुनमसिंह का हिस्सा।	कालूसिंह नगर	136/1	6.4892 हैक्टेयर	बी-2

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



22.7.25  
 सहायक कलेक्टर  
 बाप (फलोदी)  
 (सुमाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बाप (फलोदी)

## अंतिम डिगरी मुकदमें इच्छावाह

(आदेश 21 नियम 6, 7 आक्षा तीसरी)

अज अवालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी  
पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.एस.)

01 सुमेरसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी

बादी

### बनाम

- 01 देवकंवर पत्नी इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
- 02 पुनमसिंह गोदपुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
- 03 सावलसिंह पुत्र कोलसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
- 04 उममसिंह पुत्र कोलसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
- 05 शेवन्तसिंह पुत्र जवारसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
- 06 वैशरवरसिंह पुत्र कोजराजसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
- 07 रामकंवर पत्नी कोजराजसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
- 08 शाखा प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक शाखा सिंहड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
- 09 तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम, 1956

राजस्व वाद संख्या 5/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई कबक मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सौलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व वाम कालसिंह नगर पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप में खसरा नम्बर 136/1 रकबा 8.8522 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के मध्य गिनुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हेक्टेयर	हिस्सा
1	देवकंवर पत्नी इन्द्रसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	कालूसिंह नगर	136/1	2.1630 हेक्टेयर	बी-2
2	पुनमसिंह पुत्र हुकमसिंह 2/3, सुमेरसिंह पुत्र माधोसिंह 1/3 जाति राजपूत सा. देह खातेदार रहन इंडियन बैंक शाखा सिंहड़ा पुनमसिंह का हिस्सा।	कालूसिंह नगर	136/1	6.4892 हेक्टेयर	बी-2

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दशमद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। नीचे

मुतालिक बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वरसूल याबी तक को अदा करे।

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अवालत के आज तारीख 22.07.2025 को जारी की गई।



सहायक कलक्टर (सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)  
बाप (फलोदी) सहायक कलक्टर  
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुकमनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुकमनामा मुफरिफ मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।